भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2547
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केआईएस के तहत स्थापित खेलो इंडिया केन्द्र

†2547. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्रदुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत स्थापित खेलो इंडिया केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के तहत पहचाने गए युवा एथलीटों की संख्या कितनी है, जिसमें उक्त निर्वाचन क्षेत्र सहित कर्नाटक में प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान किए गए एथलीटों की संख्या भी शामिल है; और

(ग) उक्त योजना के तहत उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्टेडियम विकसित करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : कर्नाटक राज्य सहित देशभर में स्थापित खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या और पहचाने गए और प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता प्रदत्त युवा एथलीटों की संख्या का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in/state-wise-khelo-india-centers पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण स्टेडियम के विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों की होती है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत चित्रदुर्ग जिले में खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

i) तालुक स्टेडियम हिरयूर, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक राज्य में स्विमिंग पूल का निर्माण

ii) तालुक स्टेडियम हिरयूर, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक राज्य में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण और स्थापना

iii) ओनाके ओबाव्वा स्टेडियम चित्रदुर्ग जिला में बहुउद्देशीय इनडोर हॉल का निर्माण

iv) ओनाके ओबाव्वा जिला स्टेडियम चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का निर्माण और स्थापना

v) तालुक स्टेडियम चल्लकर चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक राज्य में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का निर्माण और स्थापना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा अन्य पात्र निकायों से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के तहत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

****